(40)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3395–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–3–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्र. 6/2013–14/निगरानी

गोपालदास आ0स्व0श्री रामलाल
निवासी पटटा बाजार खिलचीपुर
जिला राजगढ़

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष राजगढ़ म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम खिलचीपुर जिला राजगढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 465/33/2 रकबा 0.763 हेक्टेयर का व्यस्थापन तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 19–10–1980 से आवेदक के पिता के पक्ष में किया गया उक्त व्यवस्थापन आदेश से अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर दिनांक 30–3–2007 को हुआ व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया गया । तत्पश्चात् प्रकरण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तक प्रचलित होकर अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित हुआ और अपर कलेक्टर द्वारा अंतिम

आदेश दिनांक 30–9–2013 को आदेश पारित किया जाकर व्यवस्थापन निरस्त किया गया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–3–2016 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 2–3–2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अतः प्रकरण के निराकरण में आवेदकपक्ष के निगरानी मेमों पर विचार किया जा रहा है । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक के पिता को प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1980 में आवंटित की गई थी, तत्समय प्रश्नाधीन भूमि नगर पालिका की सीमा में नहीं आती थी । अंतराल में नगर का विस्तार होने पर भूमि वर्तमान में नगर निगम की सीमा में है, अतः वर्तमान की स्थिति के आधार पर कलेक्टर द्वारा व्यवस्थापन निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है।

(2) तहसीलदार द्वारा विधिवत् साक्ष्य ली जाकर प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के पिता के पक्ष में व्यवस्थापित की गई थी और बिना किसी उचित कारण के प्रकरण अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

(3) मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपर कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था कि वर्ष 1980 की स्थिति में नियमानुसार जॉच कर आदेश पारित करें, परंतु अपर कलेक्टर द्वारा वरिष्ठ न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया है ।

(4) अपर कलेक्टर द्वारा 21 वर्ष पश्चात् स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है जो कि अत्यधिक विलम्बित कार्यवाही है और उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा की गई है, इसलिये दोनों अधीनस्थ अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा जिस प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में किया गया है वह नगरीय सीमा के दो किलोमीटर भीतर स्थित है और नगरीय सीमा के 2 कि.मी. में स्थित भूमि का व्यवस्थापन किया जाना नियम विरूद्ध है । अतः कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर व्यवस्थापन निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर